भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 726

उत्तर देने की तारीख : 07.12.2023

एमएसएमई के लिए चयन प्रक्रिया

726. श्री मद्दीला गुरूमूर्ति :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि के माध्यम से इक्विटी निवेश के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हेतु चयन मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निधियों के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए जुटाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस निधि की स्थापना के बाद से इसमें से कोई संवितरण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि दिशानिर्देशों के अनुसार, 'एमएसएमई' इकाइयां, एमएसएमइडी अधिनियम के अनुसार परिभाषित है तथा समय-समय पर इनमें संशोधन होता है, ऐसे एमएसएमई इस योजना में विचारार्थ पात्र हैं। इक्विटी समर्थन उन सभी मौजूदा एवं इच्छुक एमएसएमई को देय है जो जांच के बाद व्यवहार्य हों, जिनकी संवृद्धि की प्रवृत्ति सकारात्मक है और जिनके पास सकारात्मक निधि प्रवाह को दर्शाने वाला विकासपरक सुस्पष्ट व्यावसायिक योजना हो। निजी इक्विटी के लिए एसआरआई निधि के तहत एनएसआईसी बेंचर कैपिटल फंड लि. (एनवीसीएफएल) द्वारा अब तक 46 अनुसंगिक निधि/डॉटर फंड (निजी/बेंचर कैपिटल फंड) को सूचीबद्ध किया गया है।

(ख) आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में निधियां की निधि के माध्यम से एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी समावेशन की उद्घोषणा की गई थी। 50,000 करोड रुपए के इस फंड के तहत भारत सरकार द्वारा 10,000 करोड रुपए और प्राइवेट इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड रुपए का प्रावधान है।

(ग) इसके प्रारंभ से दिनांक 25.11.2023 तक 62,000 करोड़ रुपए का समावेशन हो चुका है।

****